रिखार- सीधी

(160)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1115–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–03–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–1215/अपील/2011–12

....

साधु सिंह अरोरा तनय सुखराम दास अरोरा
निवासी–ग्राम बहरी, तहसील सिहावल,
जिला–सीधी(म0प्र0)

--------आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन
2– प्रभारी आयुर्वेदिक औषधालय बहरी,
तहसील सिहावल, जिला–सीधी(म0प्र0)

--------अनावेदकगण

....

श्री एस0पी0 धाकड, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रभात सिंह जादौन, शासकीय पैनल अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16-8-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम केशवाही की विवादित पुराने भूमि खसरा क्रमांक 12/3 रकबा 1.43 एकड़ में से 0.050 डि0 भूमि का अधिकार अभिलेख के दौरान नये खसरा नं0 14 में समाहित किया जाकर पशु औषधालय, पुलिस चौकी, ईश्वरी प्रसाद का मकान में मिला दिया गया। अतः उक्त विवादित भूमि के नक्शा सुधार किये

जाने एवं नामांतरण किये जाने के संबंध में अनावेदक क्र0 2 प्रभारी आयुर्वेदिक औषधालय बहरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 15.07.2010 से नक्शा सुधार किये जाने का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 1215/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2014 से अपील निरस्त की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया । अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक प्रभारी आयुर्वेदिक औषधालय के लिये सुरक्षित है, किन्तु राजस्व अभिलेख में त्रुटि होने के कारण नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 20.09.2004 के अनुसार ग्राम केशवाही की आराजी खसरा नं0 10/1 रकबा 0.411 है0 व 150/1 रकबा 0.198 है0, पर मध्यप्रदेश शासन साड़ा व भूमि खसरा नं0 10/2 रकबा 0.030 है0 व 150/2 रकबा 0.050 है0 151/0.121 है0 पर म0प्र0 शासन (आयुर्वेद औषधालय) दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, जो उचित है। कलेक्टर द्वारा जांच उपरांत रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये। कलेक्टर सीधी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपर आयुक्त रीवा ने अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना कर इसकी पुष्टि की है ।

5/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निगरानी बलहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2014 स्थिर रखा जाता है ।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश
ग्वालियर,